भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3808

दिनांक 11 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना

3808. श्री एस.रामलिंगम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्र-प्रायोजित योजना के अंतर्गत छह जिलों यथा पेरम्बलूर, तेनकाशी, मइलादुथरई, रानीपेट, तिरूपत्तूर और कांचीपुरम में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने के लिए तमिलनाडु सरकार का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष कर मइलादुथरई में क्या कार्रवाई की गई हैं/किए जाने का विचार है?

<u>उत्तर</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है, को प्राथमिकता देते हुए मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) संचालित करता है जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 और अन्य के लिए 60:40 के अनुपात में निधियां साझा की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में तिरुप्पुर, नीलगिरी, रामनाथपुरम, नमक्कल, डिंडीगुल, विरुधुनगर, कृष्णागिरी, तिरुवल्लूर, नागपट्टिनम, अरियालुर और कल्लाकुरिची में 11 मेडिकल कॉलेज अनुमोदित किए गए हैं। इसके अलावा, उपर्युक्त योजना के तीन चरणों के अंतर्गत स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित सभी 157 मेडिकल कॉलेजों को अनुमोदित कर दिया गया है।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस योजना के तहत अनुमोदित मेडिकल कॉलेजों की आयोजना, निष्पादन और कमीशनिंग राज्य सरकार द्वारा की जानी है।

*****